भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2169

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

अदालती कार्यवाही का डिजिटलीकरण

2169. श्रीमती भारती पारधी :

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर :

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला और अधीनस्थ अदालतों में ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के माध्यम से अदालती कार्यवाही के व्यापक डिजिटलीकरण को लागू किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) पारदर्शी न्याय तक पहुँच को मक्षम बनाने वाली वर्चुअल सुनवाई, ई-फाइलिंग प्रणालियों और ऑनलाइन मामले की स्थिति पर नज़र रखने के लिए परिनियोजित तकनीकी बुनियादी ढांचा क्या है ;

(ग) क्या डिजिटल मामले प्रबंधन प्रणालियों ने निचली न्यायपालिका में भौतिक रूप से अदालत आने को कम किया है और मामले के प्रवाह की दक्षता में सुधार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) मामले के निर्बाध प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने में न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण हेतु क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ङ) ई-कोर्ट में रूपान्तरण में दूरदराज के क्षेत्रों में वादियों के लिए न्यायिक सुलभता में किस प्रकार वृद्धि हुई है और डिजिटल इंडिया विज़न के तहत किस प्रकार पेपरलेस अदालत प्रशासन का समर्थन किया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अधीन ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के समन्वय से न्याय

विभाग द्वारा चरणबद्ध रीति से कार्यान्वित किया जाता है।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के अधीन भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, विरासत और वर्तमान न्यायिक अभिलेख का डिजिटलीकरण, डिजिटल मामला अभिलेख का निर्माण, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान का सार्वभौमीकरण और कागजरहित न्यायालयी प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। डिजिटलीकरण और डिजिटल मामला प्रबंधन के लिए उच्च न्यायालयों को मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी), तकनीकी मानक और कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ख) से (ङ) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, वर्चुअल सुनवाई की सुविधा के लिए आवश्यक आईसीटी अवसंरचना, मामलों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और ऑनलाइन मामला प्रास्थिति ट्रैकिंग प्रदान की गई है। ई-फाइलिंग संस्करण 3.0 मामलों और दस्तावेजों को ऑनलाइन फाइल करने में सक्षम बनाता है, जबकि राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी), ई-न्यायालय सेवा मोबाइल ऐप और जजमेंट सर्च पोर्टल मामले की स्थिति, आदेशों, निर्णयों और मामले से संबंधित अन्य जानकारी तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करते हैं। वर्चुअल सुनवाई को सक्षम करने के लिए विभिन्न न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रकार, इन पहलों ने विशेष रूप से दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों में वादियों के लिए न्यायालयों के भौतिक दौरे की आवश्यकता को कम कर दिया है।

न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों के लिए न्यायिक अकादमियों के माध्यम से संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, अभिविन्यास सत्र और पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इस प्रकार, यह परियोजना न्यायिक अभिलेख, डिजिटल मामला अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ़्लो और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिजिटलीकरण के माध्यम से कागजरहित न्यायालय प्रशासन को बढ़ावा देकर डिजिटल भारत विजन का समर्थन करती है।
